# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्रीगंगानगर

**पीठासीन अधिकारी :– कैलाश चन्द्र शर्मा** आर.ए.एस.

**अनवान :– राजस्व वाद संख्या 182/2016**

1. धर्मपाल उम्र 29 वर्ष
2. राकेश कुमार उम्र 22 वर्ष

} पिसरान श्री श्योनारायण जाति जाट गांव दौलतपुरा तहसील व जिला श्रीगंगानगर (राजस्थान)

**–– वादीगण**

–:: बनाम ::–

1. श्योनारायण पुत्र श्री जालूराम जाति जाट निवासी गांव दौलतपुरा तहसील व जिला श्रीगंगानगर (राजस्थान)
2. इन्द्रा पुत्री श्री श्योनारायण पत्नी श्री विनोद कुमार जाति जाट निवासी भाम्भू कृषि फार्म, चक 1 बी छोटी तहसील व जिला श्रीगंगानगर (राजस्थान)
3. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार (राजस्व) श्रीगंगानगर।

**–– प्रतिवादीगण**

## दावा अन्तर्गत धारा 88, 53 आर.टी.ए. बाबत घोषणा व खाता तकसीम

–:: उपस्थित अभिभाषक ::–

1. श्री ऋषी पाल जोशी अधिवक्ता — वादीगण
2. श्री विजय कुमार भाटी अधिवक्ता — प्रतिवादीगण

## – :: निर्णय ::–

**दिनांक :– 10.10.2016**

वादीगण द्वारा दिनांक 14.09.2016 को जरिये अधिवक्ता प्रतिवादीगण के विरूद्ध यह वाद अन्तर्गत धारा 53, 88, आर.टी.ए. के तहत इस न्यायालय में प्रस्तुत किया वाद के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि चक 4 क्यू पटवार हल्का दौलतपुरा तहसील व जिला श्रीगंगानगर की वर्तमान जमाबन्दी सम्वत् 2068–2071 के खाता संख्या 71/16 के मुरब्बा नम्बर 23 की 3.843 हैक्टर, मुरब्बा नम्बर 29 की 0.493 हैक्टर तथा मुरब्बा नम्बर 30 की 0.158 हैक्टर कुल 4.494 हैक्टर नहरी/बारानी मय खाला कृषि भूमि, वादीगण के पिताजी प्रतिवादी संख्या 1 श्योनारायण पुत्र जालूराम के नाम से जमाबन्दी मुताबिक दर्ज कागजात राज है। उक्त वर्णित कृषि भूमि वादीगण के दादाजी एवं पड़दादाजी से वादीगण के पिताजी प्रतिवादी संख्या 1 को प्राप्त हुई होने के कारण विरास्तन जायदाद है जिसमें वादीगण का जन्म से ही हक व अधिकार निहीत है जिसे वादीगण घोषित करवाने के अधिकारी है।

प्रतिवादी संख्या 1 के दो पुत्र (धर्मपाल एवं राकेश कुमार {वादीगण}) है तथा एक पुत्री इन्द्रा (प्रतिवादी संख्या 2) है इसके अलावा प्रतिवादी संख्या 1 के अन्य कोई सन्तान नहीं है। वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 व 2 ने पारस्परिक सहमति से प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज 4.494 हैक्टर कृषि भूमि का निम्न प्रकार घरेलू बंटवारा किया हुआ है :–

| बंटवारा अनुसार रकबा प्राप्तकर्ता | रकबा का विवरण |
|---|---|
| धर्मपाल पुत्र श्री श्योनारायण जाति जाट साकिन दौलतपुरा तहसील व जिला श्रीगंगानगर (राज.) | चक 4 क्यू पटवार हल्का दौलतपुरा तहसील व जिला श्रीगंगानगर की वर्तमान जमाबन्दी सम्वत् 2068–2071 के खाता संख्या 71/16 के मुरब्बा नम्बर 23 के किला नम्बर 3/.025, 8/.253, 13/.253, 18/.253, 23/.227 कुल 1.011 हैक्टर नहरी |

लगातार .......... 2

उपखण्ड अधिकारी
श्री गंगानगर

| | |
|---|---|
| राकेश कुमार पुत्र श्री श्योनारायण जाति जाट साकिन दौलतपुरा तहसील व जिला श्रीगंगानगर (राज.) | चक 4 क्यू पटवार हल्का दौलतपुरा तहसील व जिला श्रीगंगानगर की वर्तमान जमाबन्दी सम्वत् 2068–2071 के खाता संख्या 71/16 के मुरब्बा नम्बर 23 के किला नम्बर 1/.025, 10/.253, 11/.253, 20/.253, 21/.227 कुल 1.011 हैक्टर नहरी |
| श्योनारायण पुत्र श्री जालूराम जाति जाट साकिन दौलतपुरा तहसील व जिला श्रीगंगानगर (राज.) | चक 4 क्यू पटवार हल्का दौलतपुरा तहसील व जिला श्रीगंगानगर की वर्तमान जमाबन्दी सम्वत् 2068–2071 के खाता संख्या 71/16 के मुरब्बा नम्बर 23 के किला नम्बर 1/.228, 2/.253, 3/.228, 4/1 का .126, 9/.253, 12/.253, 19/.253, 22/.227 मुरब्बा नम्बर 29 के किला नम्बर 3/1 का .114, 8/2 का .126, 13/1 का .127, 18/2 का .126 मुरब्बा नम्बर 30 के किला नम्बर 21/1 का .019, 22/1 का .127, 23/1 का .012 इस प्रकार कुल 2.472 हैक्टर |

वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 घरेलू बंटवारा द्वारा अपने अपने हिस्सा में आई उक्त वर्णित कृषि भूमि के काबिज काश्त है। इस घरेलू बंटवारा अनुसार वादीगण को प्राप्त हुई भूमि को घोषित करवाकर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करवाया जाना जरूरी है।

उक्त विभाजन में आई भूमि वादीगण के नाम दर्ज ना होने के कारण, वादीगण को उस पर कोई भी मालिकाना हक एवं राजस्व सम्बन्धी हक व अधिकार हासिल नहीं है। वादीगण उक्त कृषि भूमि का अपनी इच्छानुसार उपयोग व उपभोग नहीं कर सकते है, ना ही इस पर कृषि ऋण, सहकारी ऋण, मुआवजा आदि की सुविधा ले सकते है। उक्त कृषि भूमि प्रतिवादी संख्या 1 श्योनारायण के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज होने के कारण तथा वह उसका खातेदार मालिक दर्ज होने के कारण, प्रतिवादी संख्या 1, वादीगण को उक्त कृषि भूमि से जबरदस्ती बेदखल कर उसका बेचान करने की धमकियां देते रहते है ।

प्रतिवादी संख्या 1 उक्त रकबा को गलत तौर से मुन्तकिल करने की कोशिश में है इसलिए वादीगण अपने हिस्से में आई कृषि भूमि को, अपने नाम से दर्ज करवाने के अधिकारी है । वादीगण ने, प्रतिवादी संख्या 1 को दिनांक 31.07.2016 को, वादीगण को बंटवारा में दी गई कृषि भूमि का राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवाने हेतू कहा तो प्रतिवादी संख्या 1 ऐसा करने से साफ इन्कार हो गया है । यही बिनाय मुखास्मत है।

अतः वाद पत्र पेश करने निवेदन है कि वादीगण का वाद पत्र, प्रतिवादीगण के खिलाफ स्वीकार किया जाकर दावा निम्न प्रकार सादिर फरमाया जावे :–

1. प्रतिवादी संख्या 1 श्योनारायण पुत्र जालूराम के नाम दर्ज चक 4 क्यू पटवार हल्का दौलतपुरा तहसील व जिला श्रीगंगानगर की वर्तमान जमाबन्दी सम्वत् 2068–2071 के खाता संख्या 71/16 के मुरब्बा नम्बर 23 के किला नम्बर 3/.025, 8/.253, 13/.253, 18/.253, 23/.227 कुल 1.011 हैक्टर नहरी वादी संख्या 1 धर्मपाल की एवं मुरब्बा नम्बर 23 के किला नम्बर 1/.025, 10/.253, 11/.253, 20/.253, 21/.227 कुल 1.011 हैक्टर नहरी कृषि भूमि वादी संख्या 2 राकेश कुमार की घोषित किया जावे ।
2. उक्त बंटवारा के अनुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करने के आदेश दिये जावे तथा अलग–अलग लगान कायम किया जावे।
3. वादीगण को खर्चा मुकदमा दिलवाया जावे।
4. अन्य कोई अनुतोष जो माननीय न्यायालय वादी के हित में समझे दिलवाया जावे ।

लगातार ........... 3

उपखण्ड अधिकारी
श्री गंगानगर

वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को जरिऐ सम्मन तलब किया गया। वादी एवम् प्रतिवादीगण के मध्य आपसी राजीनामा होनें के कारण दिनांक 27.09.2016 को उपस्थित होकर राजीनामा प्रस्तुत किया जिसको वादी एवम् प्रतिवादीगण द्वारा पढ़नें समझने के बाद हस्ताक्षर किये वादीगण की पहचान श्री ऋषी कुमार जोशी अधिवक्ता तथा प्रतिवादीगण की पहचान श्री विजय सिंह भाटी अधिवक्ता द्वारा किये जानें पर राजीनामा तस्दीक किया गया।

वादीगण एवम् प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत राजीनामा में कथन किया गया कि उक्त अनवानी शीर्षक दावा में पक्षकारान का पंचायत वा मौतबिरान लोगो ने राजीनामा करवा दिया है तथा पक्षकारान ने लोक अदालत की भावना से प्रेरित होकर अपनी स्वेच्छा से राजीनामा कर लिया है। पक्षकारान का अब कोई मनमुटाव नहीं रहा है। घरेलू बंटवारा अनुसार प्रतिवादी संख्या 1 श्योनारायण पुत्र जालूराम के नाम दर्ज चक 4 क्यू पटवार हल्का दौलतपुरा तहसील व जिला श्रीगंगानगर की वर्तमान जमाबन्दी सम्वत् 2068–2071 के खाता संख्या 71/16 के मुरब्बा नम्बर 23 के किला नम्बर 3/.025, 8/.253, 13/.253, 18/.253, 23/.227 कुल 1.011 हैक्टर नहरी कृषि भूमि वादी संख्या 1 धर्मपाल को एवं मुरब्बा नम्बर 23 के किला नम्बर 1/.025, 10/.253, 11/.253, 20/.253, 21/.227 कुल 1.011 हैक्टर नहरी कृषि भूमि वादी संख्या 2 राकेश कुमार को दी हुई है।

उक्त राजीनामानुसार चक 4 क्यू पटवार हल्का दौलतपुरा तहसील व जिला श्रीगंगानगर की वर्तमान जमाबन्दी सम्वत् 2068–2071 के खाता संख्या 71/16 में प्रतिवादी संख्या 1 श्योनारायण पुत्र जालूराम के नाम कुल कृषि भूमि में से मुरब्बा नम्बर मुरब्बा नम्बर 23 के किला नम्बर 3/.025, 8/.253, 13/.253, 18/.253, 23/.227 कुल 1.011 हैक्टर नहरी कृषि भूमि वादी संख्या 1 धर्मपाल को एवं मुरब्बा नम्बर 23 के किला नम्बर 1/.025, 10/.253, 11/.253, 20/.253, 21/.227 कुल 1.011 हैक्टर नहरी कृषि भूमि वादी संख्या 2 राकेश कुमार की घोषित की जाकर डिक्री जारी कर दी जावे व उक्त अनुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर दिया जावे तो पक्षकारान उसमें पूर्णतः सहमत है।

दिनांक 27.09.2016 को राज पैरोकार द्वारा राज्य सरकार की और से जबाब प्रस्तुत किया गया जिसके अन्तर्गत कथन किया कि वाद पत्र वर्णित भूमि का पक्षकारान के मध्य आपसी विवाद है राज्य पक्ष से कोई अनुतोष नहीं चाहा गया है। भूमि पैतृक होनें सम्बंधी वादीगण स्वयं सिद्ध करें। वाद सुनवाई राज्य पक्ष के हितो को ध्यान में रखते हुए निर्णय हेतु आवेदित है।

चुँकि प्रकरण में वादीगण एवम् प्रतिवादी के मध्य कोई प्रतिवाद नहीं होनें से तनकियात नहीं बनाई गई दिनांक 03.10.2016 को वादीगण एवम् प्रतिवादीगण द्वारा साक्ष्य शपथ पत्र पेश किये। वादी एवम् प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत राजीनामे तथा शपथ पत्र पर दिनांक 03.10.2016 को बहस सुनी गई दौरानें बहस विद्वान अधिवक्ता नें वाद एवम् राजीनामा में दिये गये कथनों को दोहराते हुए उसी अनुसार वाद डिक्री किया जाकर वाद का निर्णय करनें हेतु निवेदन किया।

हमनें वादीगण एवम् प्रतिवादीगण की ओर से पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। विद्वान अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया। जिसके अनुसार

चक 4 क्यू पटवार हल्का दौलतपुरा तहसील व जिला श्रीगंगानगर की वर्तमान जमाबन्दी सम्वत् 2068–2071 के खाता संख्या 71/16 के मुरब्बा नम्बर 23 की 3.843 हैक्टर, मुरब्बा नम्बर 29 की 0.493 हैक्टर तथा मुरब्बा नम्बर 30 की 0.158 हैक्टर कुल 4.494 हैक्टर नहरी/बारानी मय खाला कृषि भूमि, वादीगण के पिताजी प्रतिवादी संख्या 1 श्योनारायण पुत्र

लगातार ........... 4

जालूराम के नाम से जमाबन्दी मुताबिक दर्ज कागजात राज है। उक्त वर्णित कृषि भूमि वादीगण के पिताजी प्रतिवादी संख्या 1 को विरास्तन जायदाद प्राप्त हुई होने के कारण वादीगण का जन्म से ही हक व अधिकार निहीत है जिसे वादीगण घोषित करवाने के अधिकारी है।

वादीगण के विद्वान अभिभाषक एवम् की बहस पर मनन करनें तथा पत्रावली व प्रस्तुत दस्तावेजात का अवलोकन के बाद दिनांक 27.09.2016 को वादी एवम् प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत किये गये राजीनामा के अनुसार वाद पत्र को स्वीकार किया जाकर डिक्री जारी की जाती है, कि वादीगण को राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 88 के तहत चक 4 क्यू पटवार हल्का दौलतपुरा तहसील व जिला श्रीगंगानगर की वर्तमान जमाबन्दी सम्वत् 2068–2071 के खाता संख्या 71/16 में प्रतिवादी संख्या 1 श्योनारायण पुत्र जालूराम के नाम कुल कृषि भूमि में से 1.011 हैक्टर नहरी कृषि भूमि में वादी संख्या 1 धर्मपाल को एवं 1.011 हैक्टर नहरी कृषि भूमि वादी संख्या 2 राकेश कुमार को खातेदार घोषित किया जाकर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 53 के अन्तर्गत वादीगण एवम् प्रतिवादीगण के मध्य निम्नानुसार विभाजन किया जाता है :–

1. वादी संख्या 1 धर्मपाल पुत्र श्री श्योनारायण जाति जाट गांव दौलतपुरा तहसील व जिला श्रीगंगानगर (राजस्थान) का 1.011 हैक्टर रकबा :–

| चक नम्बर | मुरब्बा नम्बर | किला नम्बर | कुल भूमि |
|---|---|---|---|
| 4 क्यू | 23 | 3/.025, 8/.253, 13/.253, 18/.253, 23/.227 | 1.011 हैक्टर |

2. वादी संख्या 2 राकेश कुमार पुत्र श्री श्योनारायण जाति जाट गांव दौलतपुरा तहसील व जिला श्रीगंगानगर (राजस्थान) का 1.011 हैक्टर रकबा :–

| चक नम्बर | मुरब्बा नम्बर | किला नम्बर | कुल भूमि |
|---|---|---|---|
| 4 क्यू | 23 | 1/.025, 10/.253, 11/.253, 20/.253, 21/.227 | 1.011 हैक्टर |

3. प्रतिवादी संख्या 1 श्री श्योनारायण पुत्र श्री जालूराम जाति जाट गांव दौलतपुरा तहसील व जिला श्रीगंगानगर (राजस्थान) का 2.472 हैक्टर रकबा :–

| चक नम्बर | मुरब्बा नम्बर | किला नम्बर | कुल भूमि |
|---|---|---|---|
| 4 क्यू | 23 | 1/.228, 2/.253, 3/.228, 4/1 का .126, 9/.253, 12/.253, 19/.253, 22/.227 | 1.821 हैक्टर |
| | 29 | 3/1 का .114, 8/2 का .126, 13/1 का .127, 18/2 का .126 | 0.493 हैक्टर |
| | 30 | 21/1 का .019, 22/1 का .127, 23/1 का .012 | 0.158 हैक्टर |
| कुल भूमि | | | 2.472 हैक्टर |

तहसीलदार (राजस्व) श्रीगंगानगर को आदेशित किया जाता है कि उक्तानुसार ही राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जाकर अलग अलग लगान कायम किया जावे।

खर्चा फरीकैन अपना–अपना वहन करेगें। नियमानुसार स्टाम्प डयुटी प्रस्तुत किये जानें पर आदेशानुसार पर्चा डिक्री जारी की जावे। पत्रावली निर्णय शुमार होकर बाद तकमील दफ्तर दाखिल हो।

यह आदेश आज दिनांक 10.10.2016 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(कैलाश चन्द्र शर्मा)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीगंगानगर